न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 01 / 2024(पुरानी–64 / 2023)
प्रविष्टि दिनांक:– 13.03.2024(पुरानी–26.06.2023)
निर्णय दिनांक :– 15.04.2024

::–**उनवान**–::

1. श्री सत्यनारायण गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।

– **प्रार्थी**

बनाम

1. श्री नन्दलाल जैन पुत्र श्री अभय कुमार जैन निवासी कल्याण जी के मंदिर के पास टोडारायसिंह जिला केकड़ी एफ.बी.ओ. मैसर्स नन्दलाल किराणा स्टोर बस स्टैण्ड एसबीबीजे बैंक के पास टोडारायसिंह जिला केकड़ी।

2. मैसर्स नन्दलाल किराणा स्टोर बस स्टैण्ड एसबीबीजे बैंक के पास टोडारायसिंह जिला केकड़ी।

– **अप्रार्थीगण**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii), (iv) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थिति :
(1) पेरोकार सरकार उपस्थित।
(2) विपक्षी श्री नन्दलाल जैन स्वयं उपस्थित।

::–**निर्णय**–:: **दिनांक: 15.04.2024**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.04.2023 को समय 04:00 पीएम पर मैसर्स नन्दलाल किराणा स्टोर बस स्टैण्ड एसबीबीजे बैंक के पास टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर पहुंचा। वहां श्री नन्दलाल जैन पुत्र श्री अभय कुमार जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नन्दलाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

2. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में प्लास्टिक के 1 कट्टे में लगभग 15—16 किग्रा धनिया पावडर (खुला) का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर श्री नन्दलाल जैन पुत्र श्री अभय कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर नन्दलाल जैन पुत्र श्री अभय कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के द्वारा तस्दीक किया।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में प्लास्टिक के 1 कट्टे में लगभग 15—16 किग्रा धनिया पावडर (खुला) में से कुल 2 किग्रा वेईंग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत श्री नन्दलाल जैन पुत्र श्री अभय कुमार जैन को रू 240.00 / — अक्षरे दौ सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर श्री नन्दलाल जैन के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा धनिया पावडर (खुला) 2 किग्रा को अलग—अलग चार साफ डिब्बों के ढक्कन को नियमानुसार एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भागों में तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई—3608 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं नन्दलाल जैन तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग—2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई—3608 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर गवाहो के समक्ष श्री नन्दलाल जैन मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया तथा इस समस्त कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहों के सामने श्री नन्दलाल जैन को पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाए।

5. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

6. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2023 / 2017 दिनांक 16.05.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस. / 1600 / एक्ट / 2023 / 1609 दिनांक 08.05.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **धनिया पावडर (खुला)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध) नं0 2.3.14(15) के अनुसार कॉन्ट्रावेन(**Contravene**) व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री नन्दलाल जैन उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है। वह स्वयं पिसाई कर मसालों के विक्रय का कार्य करता है। विभाग की टीम द्वारा लिया गया धनिया के सेम्पल में हल्दी की मिलावट होना पाया गया जिसका कारण मसालों को पीसने के दौरान पूर्व में हल्दी पीसी होने से तथा उसके बाद धनिया पिसने से धनिया पावडर में हल्दी मिक्स होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **धनिया पावडर (खुला)** का विक्रय कर रहा था, वह जांच में कॉन्ट्रावेन(**Contravene**) व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

8. हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **धनिया पावडर (खुला)** का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन(**Contravene**) व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन नं0 2.3.14(15) का उल्लंघन करने व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) व (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

51व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शस्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii), (iv) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) का स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 11,000/– (अक्षरे ग्यारह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.04.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
केकड़ी–राज0